



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 778 राँची, गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2024 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

अधिसूचना

2 दिसम्बर, 2024

सं०-04-मं०मं०स०/(झा० भ० स्था०) -1031/06 1644 -- झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची अन्तर्गत मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड के कार्यदायित्व की कंडिका-01(क)(xxvi) के उपरांत कंडिका-01(क)(xxvii) "DSPE Act की धारा-5 एवं 6 के मामलों को छोड़कर सभी केन्द्रीय एजेन्सी से संबंधित मामले " अंतःस्थापित किया गया है। {मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की अधिसूचना संख्या-सी.एस./01/आर.-05/2024-1262, दिनांक 02.09.2024 द्रष्टव्य }

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा PMLA, 2002 की धारा-66(2) के तहत दर्ज मामलों के साथ-साथ अन्य केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा संगत प्रावधानों के अधीन दर्ज मामलों में यथोचित कार्रवाई करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का गठन किया गया है, जो अधिसूचना के साथ संलग्न है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनुलग्नक-यथोक्त।

(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव

प्रवर्तन निदेशालय (ED) एवं अन्य केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में अपेक्षित कार्रवाई हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा PMLA, 2002 की धारा-66(2) के तहत कई मामलों में कार्रवाई की जा रही है तथा उक्त मामले विभिन्न विभागों/पदाधिकारियों से संबंधित हैं। PMLA, 2002 की धारा-66(2) के तहत दर्ज मामलों (कुल-14) का Case details पूर्व में भी विभाग को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों/पदाधिकारियों द्वारा भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) में दर्ज मामलों में कार्रवाई का पत्र प्राप्त हुआ है। साथ ही आयकर विभाग एवं अन्य केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा भी विभिन्न मामलों में कार्रवाई के क्रम में राज्य सरकार से सूचना की अपेक्षा की जाती है अथवा राज्य सरकार के स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

2. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की अधिसूचना संख्या-1262, दिनांक-02.09.2024 द्वारा "DSPE Act" की धारा-05 एवं 06 के मामलों को छोड़कर सभी केन्द्रीय एजेंसी से संबंधित मामले " का कार्यदायित्व इस विभाग को सौंपा गया है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा PMLA, 2002 की धारा-66(2) के तहत दर्ज मामलों के साथ-साथ आयकर विभाग एवं अन्य केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा संगत प्रावधानों के अधीन दर्ज मामलों में यथोचित कार्रवाई हेतु मानक संचालन प्रक्रिया गठित किया जाना अपेक्षित है।

4. PMLA 2002 की धारा-66 में निम्नवत् प्रावधान है-

66. Disclosure of information- The Director or any other authority specified by him by a general or special order in this behalf may furnish or cause to be furnished to-

(i) any officer, authority or body performing any functions under any law relating to imposition of any tax, duty or cess or to dealings in foreign exchange, or prevention of illicit traffic in the narcotic drugs and psychotropic substances under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);

or

(ii) such other officer, authority or body performing functions under any other law as the Central Government may, if in its opinion it is necessary so to do in the public interest, specify, by notification in the Official Gazette, in this behalf, any information received or obtained by such Director or any other authority, specified by him in the performance of their functions under this Act, as may, in the opinion of the Director or the other authority, so specified by him, be necessary for the purpose of the officer, authority or body specified in clause (i) or clause (ii) to perform his or its functions under that law.

5. (i) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA, 2002 की धारा-66(2) एवं अन्य केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा सदृश धाराओं के तहत मांगी गयी सूचना के वैधानिक पक्ष को समझने, मांगी गयी संदर्भित सूचना को Find Out करने तथा जिस पदाधिकारी/व्यक्ति के विषय में सूचना मांगी जा रही है, उनके द्वारा किस Law का Violation किया गया है और इसमें किस प्रकार की विधिक/कानूनी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है, इन बिन्दुओं पर विचार कर उचित परामर्श देने हेतु विशेष सचिव/अपर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड की अध्यक्षता में एक तथ्य जाँच समिति (Fact Finding Committee) निम्नवत् गठित किया जाता है:-

(i)	विशेष सचिव/अपर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित प्रशासी विभाग/विभागों द्वारा नामित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्यून)	सदस्य
(iii)	विधि विभाग द्वारा नामित परामर्शी/विधि पदाधिकारी	सदस्य
(iv)	ACB द्वारा नामित पुलिस पदाधिकारी (पुलिस अधीक्षक से अन्यून)	सदस्य

(ii) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) को मुख्य सचिव कार्यालय/प्रशासी विभाग के माध्यम से ऐसे मामलों की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा संबंधित मामले को तथ्य जाँच समिति (Fact Finding Committee) के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

(iii) तथ्य जाँच समिति द्वारा उपर्युक्त कंडिका 5(i) के आलोक में इसकी समीक्षा की जायेगी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा संदर्भित मामले में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में प्रशासी विभाग को समुचित परामर्श दिया जायेगा।

(iv) समिति द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में प्रशासी विभाग द्वारा PMLA, 2002 की धारा-66(2) एवं अन्य केन्द्रीय एजेंसियों को सदृश धाराओं के तहत साझा की जाने वाली सूचनाओं को पहले तथ्य जाँच समिति (Fact Finding Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(v) तथ्य जाँच समिति (Fact Finding Committee) द्वारा इन सूचनाओं की पूर्णता/अपूर्णता की जाँच की जायेगी। साथ ही, इस बात का भी परीक्षण किया जायेगा कि संबंधित एजेंसी द्वारा माँगी गयी सूचनाएँ क्या अन्य व्यक्ति/विषय से भी संबंधित है? समिति द्वारा इसके विधिक/कानूनी पहलुओं की जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रशासी विभाग को परामर्श दिया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा उक्त परामर्श के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी। यदि समिति द्वारा अपेक्षा की जाय तो प्रशासी विभाग द्वारा यथा अपेक्षित सूचना/दस्तावेज भी समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया के तहत संदर्भित मामले की समुचित समीक्षा एवं परीक्षण के उपरांत उक्त मामले में की जाने वाली कार्रवाई पर तथ्य जाँच समिति (Fact Finding Committee) द्वारा दिये गये परामर्श/मंतव्य/अनुशंसा के आलोक में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

6- तथ्य जाँच समिति द्वारा समय-समय पर बैठकें आयोजित कर समिति को निर्दिष्ट मामलों का निष्पादन किया जायेगा। समिति को आवश्यक सचिवालयीय सहायता प्रदान करने हेतु समिति के अध्यक्ष के आदेश से एक Dedicated Cell गठित किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों/कर्मियों/रिटेनर आदि की प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी।

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव
